Dainik Bhaskar (Indore), 24th May 2013, Page-03

आईआईटी को जमीन कम मिलने का कारण राजस्व सचिव ने किया खारिज

संभागायुक्त-कलेक्टर को कल भोपाल में संशोधित प्रस्ताव लाने के लिए कहा

भास्कर संवाददाता | इंदौर

आईआईटी को सिमरोल में स्थायी भवन के लिए आवंटित जमीन से कम जमीन मिलने संबंधी प्रतिवेदन को राजस्व सचिव ने खारिज कर दिया। सचिव अजीत केसरी ने गुरुवार को संभागायुक्त संजय दुबे व कलेक्टर आकाश त्रिपाठी को पत्र भेजा है। इसमें कहा- जमीन कमी को लेकर जो कारण प्रतिवेदन में बताए गए हैं, वे मान्य नहीं है। प्रतिवेदन में दिए जमीन संबंधी तथ्यों से अब भी आवंटित जमीन में 3.99 एकड़ की कमी बनी है, जबकि प्रतिवेदन में कमी मात्र 1.39 एकड़ बताई गई है। पत्र में आगे कहा गया है कि आईआईटी डायरेक्टर से सहमति लेकर पूर्व में जारी किए गए आवंटन आदेश में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव 25 मई को मुख्य सचिव द्वारा ली जा रही बैठक में प्रस्तुत करें।

आईआईटी को फरवरी 2009 में सिमरोल में 502 एकड़ जमीन आवंटित हुई थी। आईआईटी ने अपने स्तर पर किए सीमांकन के बाद इसमें 11.68 एकड़ जमीन कम होने की शिकायत की।इस पर प्रशासन ने जब चार बार सीमांकन किया तो करीब चार एकड़ जमीन की कमी की बात कही। आईआईटी और प्रशासन के दल के मिलकर किए गए अंतिम सीमांकन में जमीन की कमी 1.39 एकड़ होने की बात फाइनल हुई और इसका प्रतिवेदन भोपाल भेजा गया। लेकिन राजस्व विभाग ने इस प्रतिवेदन में आपत्ति ले ली।

यह है प्रतिवेदन में

» सर्वे नंबर 267 का एक एकड़ व 273 सर्वे नंबर का 1.02 एकड़, रास्ते व आबादी का होने के कारण आईआईटी को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।

» सर्वे नंबर 965 जिसका रकबा आठ एकड़ है के विरुद्ध मौके पर पांच एकड़ ही पाई गई। इसका कारण पास के किसानों द्वारा जमीन का दबाया जाना बताया गया।

» आईआईटी परिसर में आने-जाने के लिए बने रास्ते में 2.67 एकड़ अतिरिक्त कब्जे की बात भी प्रतिवेदन में थी।

» इस तरह आईआईटी के दावे 11.68 एकड़ की कमी के विरुद्ध प्रतिवेदन में 4.69 एकड़ की कमी व शेष तीन एकड़ भूमि अन्य जगह पर अधिक कब्जा होने की बात कहते हुए भूमि उपलब्ध नहीं कराए जाने की बात कही गई।

» सचिव ने पत्र में लिखा है कि संभागायुक्त के प्रतिवेदन में दिए तथ्यों को भी माने तो जमीन में कमी 3.99 एकड़ बनी है। प्रतिवेदन में जमीन में कमी 1.39 एकड़ बताई जा रही है। ऐसे में जमीन में कमी संबंधी कारण मान्य नहीं हैं।

बात हो चुकी है, सीएस की बैठक में फैसला हो जाएगा

भोपाल में बात हो चुकी है। सभी कारण मान्य हैं। कहीं समस्या नहीं है। जमीन आवंटन में संशोधित प्रस्ताव मांगा गया है। शनिवार को भोपाल में मुख्य सचिव के साथ बैठक है। सभी बातों पर फैसला हो जाएगा।'

– संजय दुबे, संभागायुक्त